निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श0)

(सं0 पटना 486) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

सं० एल०जी०–01–13/2020–4391/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 11, 2020]

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2020

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा–02 की उप धारा–(क) में संशोधन के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**।–(1) यह अधिनियम बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगा।

2. **बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा–02 की उप धारा–(क) में परंतुक का जोड़ा जाना ।–** बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा–02 की उप धारा–(क) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ा जाएगा यथाः–

"परन्तु बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन अधिसूचित सेवाओं में शामिल राशन कार्ड से संबंधित मामला इस अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद माना जायेगा।"

3. **निरसन एवं व्यावृति ।–**

(i) बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–05, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

---

10 अगस्त 2020

सं० एल०जी०–01–13/2020–**4392/लेज**––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 अगस्त 2020 को अनुमत **बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2020** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 11, 2020]

The Bihar Right to Public Grievance Redressal (Amendment) Act, 2020

AN

ACT

To amend sub section (a) of section 2 of the Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015 (Bihar Act, 19 of 2015).

Be It enacted by the Legislature of the State of Bihar in Seventy First year of the Republic of India as follows :-

1. ***Short title, extent and commencement***.—

(1) This Act may be called the Bihar Right to Public Grievance Redressal (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. ***Addition of a Proviso in sub section (a) of Section-2 of the Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015***.—The following proviso shall be added in sub section (a) of Section-2 of the Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015:-

"Provided the matter related with Ration Card notified under the Bihar Right to Public Services Act, 2011 shall be deemed as complaint under this Act."

3. ***Repeal and Savings***.—

(i) Bihar Right to Public Grievance Redressal (Amendment) Ordinance, 2020 (Bihar Ordinace No.- 05,2020) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

By Order of the Governor of Bihar,
P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 486-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in